


न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिविजन), बगहा, पश्चिम चम्पारण।

स्वत्व वाद संख्या:-70/2023

सी0 आई0 एस0 नम्बर:- 180/2023

नन्दकिशोर प्रसाद साह बनाम लालजी प्रसाद यादव एवं अन्य

Date-	Order with initials of the Judge	Office note as to action takvuqlwph on order (if any) and date
09.10.2025	<p>1. वादी एवं प्रतिवादी की पैरवी है। वाद, वादी/आवेदक की ओर से आवेदन अन्तर्गत दिनांक 23.12.2024 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 और 2 एवं धारा-151 सी.पी.सी. एवं आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु लंबित है। वाद पुकार किए। पुकार पर उभयपक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।</p> <p>2. वादी/आवेदक की ओर अभिकथन किया गया है कि वादी ने यह वाद वादपत्र की अनुसूची संख्या-2 में उल्लिखित वाद भूमि पर अधिकार और स्वामित्व घोषित करने तथा वाद भूमि के संबंध में कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए लाया है। पूर्व में भी वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 को नया पक्का ढांचा खड़ा करने से रोकने के लिए एवं मुकदमे की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश 39 और नियम 1 एवं 2 सी.पी.सी. तथा धारा-151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन दाखिल की गई थी, जिसे दिनांक 16.04.2024 को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट और उनके द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ को देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा मुकदमे की जमीन पर नया निर्माण किया जा रहा है। यदि वाद के किसी भी पक्ष द्वारा कोई नया निर्माण किया जाता है, तभी दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति होने की संभावना होती है। इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं पक्षकार द्वारा किये गए अभिकथन के आधार पर तीसरा तत्व भी वादी के पक्ष में नहीं है। इनका आगे कहना है कि दिनांक 21.12.2024 को प्रतिवादी संख्या-1 ने विवादित भूमि पर नये निर्माण के लिए पक्के पिलर बनाना शुरू किया है जिसके फोटोग्राफ वादी द्वारा जानकारी के प्रयोजन से लिया गया है। यदि प्रतिवादी संख्या-1 को नये स्तंभ बनाने और स्थायी निर्माण करने से नहीं रोका जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकती। वादी ने वादभूमि को अपने पिता सुखई साह और उनके भाई के बीच वर्ष 2011 में हुए बंटवारे के अनुसार हासिल किया था। प्रारंभ में वाद भूमि दुखी साह की थी, जो वादी के दादा रामजश साह के सगे भाई थे। उन्हें अपने भाई रामजश साह से अपना हिस्सा मिला था। दुखी साह ने खाता 346 के प्लॉट संख्या-489 और 449 के 1 कट्टा 5 धुर भूमि अपने सगे भाई रामजश साह को दिनांक 18.02.1977 को पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या-1108 के माध्यम से बेच दिया। पुनः पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या-3185 दिनांक 22.04.1980 के द्वारा 3 धुर जमीन दुखी साह ने रामजश साह को बिक्री किया। दुखी साह ने पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या-8148 दिनांक 28.09.1981 के द्वारा 2 धुर जमीन सुखई साह को बिक्रय कर दिया। इस प्रकार सुखई साह ने खाता संख्या- 346, खेसरा 489 में अपना पूरा अंश बिक्रय कर दिया है। इनका आगे कहना है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन है। प्रतिवादी वाद भूमि पर नया निर्माण कार्य</p>	

  
9/10/2025

प्रतिवादी  
9-10-25


कर चुका है जिससे की वाद भूमि की प्रकृति में परिवर्तन हो गया है। न्यायहित में प्रतिवादी संख्या-1 को नया निर्माण कार्य करने से रोकना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी संख्या-1 को वाद भूमि पर नया निर्माण कार्य करने से रोकने एवं यथास्थिति बनाये रखने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 07.04.2025 को वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 और 2 सपठित धारा-151 सी.पी.सी. दिनांक 23.12.2024 का पूरक आवेदन प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया है कि पूर्व में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया है कि वाद भूमि पर ईट, बास और लकड़ी के लट्ठे पड़े हैं। वाद भूमि खाली है। वादभूमि पूरब से पश्चिम बास से घिरी हुई है। वाद भूमि पर एक जामुन, एक सागवान और दो शीशम का पेड़ है। इनका आगे कहना है कि निषेधाज्ञा आवेदन के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 ने उक्त सभी पेड़ों को काट दिया है तथा चारदीवारी का निर्माण कर लिया है। चारदीवारी के अन्दर नया निर्माण कार्य जारी है। प्रतिवादी ने वन विभाग से पेड़ों को काटने के संबंध में कोई अनुमति नहीं लिया है।

3. आवेदन पत्र के अनुसार वाद भूमि का वर्णन निम्नानुसार है:-

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
बगहा थाना नंबर 248	346	489	0.0.6	उत्तर:- प्रतिवादी संख्या:-01 दक्षिण:- शंकर साह पूरब:- विजय कांत दूबे पश्चिम:- रास्ता

4. प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से आवेदन का विरोध करते हुये दिनांक 07.04.2025 को कारण पृच्छा प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन तथ्यतः एवं विधितः पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। इनका आगे कहना है कि आवेदन पत्र के अनुसूची संख्या-1 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या-1 के स्वामित्व एवं दखल कब्जे में है, जो रजिस्टर्ड बिक्रय विलेख, दिनांक 28.09.1981 के माध्यम से उसने पूर्ण प्रतिफल देकर उसके पूर्ण स्वामी दुखई साह से अर्जित की है। वादी का वादभूमि पर कोई भी अधिकार, स्वामित्व, हित एवं कब्जा कभी नहीं रहा है। निषेधाज्ञा आवेदन पत्र में वादी का दावा वर्ष 2011 के खेष्टा बंटवारा पर आधारित है। अतः वादी ने खेष्टा बंटवारा को स्वीकार किया है उक्त खेष्टा बंटवारा के दस्तावेज का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि उसमें विवादित भूमि के पूर्व में प्रतिवादी संख्या-1 का दखल कब्जा दिखाया गया है। इनका आगे कहना है कि वर्तमान निषेधाज्ञा आवेदन के पूर्व भी वादी द्वारा आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सपठित धारा-151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 24.11.2023 को प्रस्तुत किया गया था जो कि पूर्व में ही दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात इस आधार पर खारिज किया जा चुका है कि वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के निष्पादन के लिए आवश्यक तीनों तत्व वादी के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन पोषणीय नहीं है। वादी की ओर से उक्त आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं देने के कारण पारित आदेश अंतिम है। वादी का दावा बंटवारा दिनांक 27.07.2010 के बंटवारा पर आधारित है। जिसमें प्रतिवादी संख्या-1 को पूर्वी चौहद्दी पर दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त खाता संख्या- 346, खेसरा 489 के संबंध में रजिस्टर्ड बिक्रय विलेख संख्या-8148, दिनांक 28.09.1981, जो कि दुखई साह द्वारा सुखई साह के पक्ष में निष्पादित होना अभिकथित है, में भी स्पष्ट रूप से अभिकथित किया गया है कि उक्त भूमि के उत्तरी चौहद्दी पर जो निज भूमि दर्ज है वह लालजी यादव

  
9/10/2025

प्रतिवादी  
9-10-25

(प्रतिवादी संख्या-1) को बेचा गया है। उसी दिनांक को खाता संख्या-346, खेसरा 489 के संबंध में सुखई साह ने लालजी यादव के पक्ष में रजिस्टर्ड बिक्रय विलेख संख्या-8148 निष्पादित किया है, जिसमें उल्लेख है कि निज भूमि सुखई साह को बेचा गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 अपनी खरीद भूमि के संबंध में विधिक स्वामी होने से उसपर उसका अधिकार, स्वामित्व, हित एवं दखल कब्जा है। इनका आगे कहना है कि लालजी यादव के पक्ष में जमाबंदी संख्या-3907 सृजित की गई है। जिसके आधार पर वह बिहार सरकार को लगान का भुगतान करते आ रहा है। वास्तविक तथ्य यह है कि डी.सी.एल.आर. ने नामांतरण वाद अपील संख्या-40/12-13 में नामांतरण वाद संख्या-737/96-97 को खारिज करते हुए निचली अदालत को इस निर्देश के साथ मामाल वापस भेज दिया कि वह राजस्व अभिलेखों का सत्यापन करें और जमाबंदी संख्या-2015 के आधार की जांच करें। डी.सी.एल.आर. के द्वारा पारित आदेश के पालन में अंचल अधिकारी बगहा द्वारा जांच की गई और प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में जमाबंदी सृजित किया। इस आदेश को चुनौति किसी भी पक्षकार के द्वारा न दिये जाने से उक्त आदेश अंतिम है। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन नहीं है। चूंकि वादी द्वारा कब्जे की पुनः प्राप्ति का दावा किया गया है। अतः उन्हें अपूरणीय क्षति होने की संभावना भी नहीं है। अतः आवेदन दिनांक 23.12.2024 को खर्च के साथ खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

वादी की ओर से दिनांक 07.04.2025 को प्रस्तुत पूरक आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी संख्या-1 का कहना है कि यह आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है और निषेधाज्ञा आवेदन के लंबन के दौरान कोई भी जीवित पेड़ प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा नहीं काटा गया है, बल्कि सही कारण यह है कि बारिस में उक्त पेड़ गिरकर सुख गए थे। चूंकि उक्त पेड़ डरेर पर खड़े थे। अतः सुरक्षा के दृष्टि में एवं न्यायहित में प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि पर चारदीवारी का निर्माण कराना आवश्यक था।

5. अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि यह वाद वादपत्र के अनुसूची संख्या-2 में वर्णित भूमि पर वादी के स्वामित्व एवं अधिकार की घोषणा करने, अनुसूची संख्या-2 में वर्णित भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में कब्जे की पुनः प्राप्ति की डिक्री पारित करने, विवादित भूमि पर से सभी संरचना को हटाकर उसका खाली कब्जा वादी को वापस सौंपने की डिक्री पारित करने, लालजी प्रसाद यादव के नाम से प्रस्तुत बिक्रय विलेख दिनांक 28.09.1981, जो दुखी साह द्वारा निष्पादित किया जाना अभिकथित है, को जाली एवं मनगढ़ंत घोषित करते हुए उसे अप्रभावी एवं वादी पर बाध्यकारी न होना घोषित करने तथा अभिकथित बिक्रय विलेख को रद्द करने का आदेश पारित करने, ब्याज सहित वाद खर्च वादी को दिलाने एवं अन्य अनुतोष, जिसका वादी हकदार है, उसे दिलाने के लिए दाखिल किया गया है। आवेदन पत्र एवं वादपत्र के अनुसूची 2 के अनुसार विवादित भूमि निम्नानुसार है:-

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
बगहा थाना नंबर 248	346	489	0.0.6	उत्तर:- प्रतिवादी संख्या:-01 दक्षिण:- शंकर साह पूरब:- विजय कांत दूबे पश्चिम:- रास्ता

9/10/2025

भारतीय  
9-10-24

वाद पत्र के पैरा 1 में किए गए अभिवचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 से 8 वादी के रिश्तेदार हैं और उनके विरुद्ध वादी के द्वारा कोई भी दावा नहीं किया गया है। वाद में प्रतिवादी संख्या 7 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिवादी उपस्थित हो चुके हैं। वाद प्रतिवादी संख्या 7 के उपस्थिति के लिए लंबित है। प्रतिवादी को वाद भूमि पर नया निर्माण कार्य करने से रोकने के लिए दिनांक 23.12.2024 को आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवेदन प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने की मांग की गई है।

6. अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के संबंध में विधिक स्थिति यह है कि आवेदक को शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा निम्नलिखित तीन शर्तों को साबित करना आवश्यक है :-

- (i) क्या आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है ?
- (ii) क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?
- (iii) क्या निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने पर आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी ?

अतः प्रश्नगत आवेदन का निष्पादन उक्त तीनों शर्तों के आलोक में निम्नानुसार किया जा रहा है:-

**(i) क्या आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है ?**

इस प्रश्न के निर्धारण के लिए सर्वप्रथम यह देखना होगा कि क्या आवेदक के पक्ष में ऐसा मामला है, जिसे सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है और यह कि क्या उसके द्वारा उठाये गए तर्कों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

हस्तगत वाद में वाद पत्र के अभिवचन एवं आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी का विवादित भूमि पर दावा का आधार यह है कि बालमुकुंद साह वादी के पूर्वज थे। उनकी मृत्यु अपने दो पुत्रों दुखी साह और रामजश साह को छोड़कर हुई। बालमुकुंद साह की मृत्यु के बाद उनकी पूरी सम्पत्ति का बंटवारा उनके दोनों पुत्रों के बीच हो गया। उक्त बंटवारा में खाता संख्या-346 के खेसरा संख्या-489 और 449 की 1 कट्ठा 10 धुर जमीन और अन्य जमीन दुखी साह को हिस्सा और दखल कब्जा में मिला। दुखी साह ने उसमें से 1 कट्ठा 5 धुर जमीन रजिस्टर्ड बिक्रय विलेख संख्या-1108, दिनांक 18.02.1977 के द्वारा एवं 3 धुर जमीन रजिस्टर्ड बिक्रय विलेख संख्या-3185, दिनांक 22.04.1980 के द्वारा अपने भाई रामजश साह को बिक्रय कर दिया और शेष 2 धुर जमीन उन्होंने रजिस्टर्ड बिक्रय विलेख संख्या-8148, दिनांक 28.09.1981 के द्वारा सुकई साह को बिक्रय कर दिया। रामजश साह अपने तीन पुत्रों सुकई साह, सतन साह और शंकर साह को छोड़कर मरे। वादी के पिता सुकई साह को खेष्टा बंटवारा दिनांक 27.07.2010 के आधार पर खाता संख्या-346 के खेसरा संख्या-489 में स्थित 19 धूर 05 धूरकी जमीन प्राप्त हुई। पुनः वर्ष 2011 में सुकई साह और उनके पुत्रों के बीच बंटवारा में विवादित भूमि सहित अन्य भूमि सुकई साह के पुत्र वादी को अंश के रूप में प्राप्त हुई। वादी के ओर से अपने दावा के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:-

- (i) न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगहा, प0 चम्पारण के दिनांक 03.06.2017 का आदेश फलक की प्रतिलिपि।
- (ii) दस्तावेज संख्या-1108, दिनांक 18.02.1977, दुखी साह बनाम रामजश साह की प्रतिलिपि।
- (iii) दस्तावेज संख्या:-8148, दिनांक 28.09.1981 दुखी साह बनाम सुखई साह की प्रतिलिपि।
- (iv) दस्तावेज संख्या 3185, दिनांक 22.04.1980, दुखी साह बनाम रामजश साह की प्रतिलिपि।

8/9/10/2025

9-10-25

(v) खेष्टा बंटवारा दिनांक 27.07.2010 की प्रतिलिपि।

दूसरी ओर अनावेदक/प्रतिवादी संख्या-1 का कहना है कि विवादित जमीन दुखी साह को हक एवं हिस्सा में प्राप्त जमीन का अंश है, जिसे उन्होंने उचित मूल्य प्राप्त कर दिनांक 28.09.1981 को प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में रजिस्टर्ड बिक्रय विलेख का निष्पादन कर दिया, तब से उसका वाद भूमि पर स्वामित्व एवं दखल कब्जा है। दुखी साह द्वारा कभी भी वादी के दादा के रामजश साह के नाम विवादित जमीन का बिक्रय नहीं किया गया है। अतः वादी का वादभूमि पर कोई भी अधिकार, स्वामित्व, हित एवं कब्जा कभी नहीं रहा है। इन्होंने अपने दावा के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:-

(i) मौजा बगहा, खाता 346 के खेसरा संख्या 489, रकबा 0.2.75 डिस्मिल का लालजी प्रसाद यादव के नाम से जमाबंदी संख्या-3389 के लिए वर्ष 2023-24 का मालगुजारी रसीद का छायाप्रति

(ii) वर्ष 2015-16 का लालजी प्रसाद यादव के नाम से जमाबंदी संख्या-3389 के लिए मालगुजारी रसीद 00195206 का छायाप्रति।

(iii) दिनांक 27.07.2010 का सुकई साह एवं अन्य फरीकैन के मध्य आपसी बंटवारा की छायाप्रति।

(iv) दिनांक 28.09.1981 का बैनामा दस्तावेज संख्या-8149, दुखी साह बनाम लालजी प्रसाद यादव की छायाप्रति।

(v) वर्ष 2010-11 का लालजी प्रसाद यादव के नाम से मालगुजारी रसीद संख्या 8423 का छायाप्रति।

अतः उपर्युक्त विवेचना एवं उभय पक्ष द्वारा किये गए अभिवचनों, वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, प्रतिवादी संख्या-1 के कारण पृच्छा एवं अभिलेख के साथ संलग्न उभय पक्ष के दस्तावेजों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विवादित भूमि पर दोनों पक्ष अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं तथा दोनों पक्षों के द्वारा अपने दावा के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है। अतः दोनों पक्षों के बीच निराकरण के लिए विवाद विद्यमान है, जिसका निराकरण साक्ष्य के द्वारा गुण-दोष आधार पर ही किया जा सकता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर कि क्या आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, सकारात्मक दर्ज किया जाता है।

**(ii) क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?**

इस प्रश्न के निर्धारण के लिए यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा देने या न देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी।

हस्तगत वाद में वादी द्वारा अन्य अनुतोषों के साथ अनुसूची संख्या-2 में वर्णित भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में कब्जे की पुनः प्राप्ति की डिक्री पारित करने, विवादित भूमि पर से सभी संरचना को हटाकर उसका खाली कब्जा वादी को वापस सौंपने की डिक्री पारित करने के अनुतोष की भी मांग की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि वाद भूमि पर पूर्व से ही प्रतिवादी का दखल-कब्जा है। वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा नया निर्माण कार्य करने से उसे किस प्रकार की असुविधा होगी। इसके विपरीत जबकि प्रतिवादी का पूर्व से ही वाद भूमि पर दखल-कब्जा है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि निषेधाज्ञा न देने से वादी/आवेदक को प्रतिवादी की तुलना में अधिक असुविधा का सामना करना पड़ेगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर कि क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है, नकारात्मक दर्ज किया जाता है।

**(iii) क्या निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने पर आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी ?**

इस प्रश्न के निर्धारण के लिए यह देखना होगा कि क्या निषेधाज्ञा न देने से

9/10/2025

लक्ष्मी  
9-10-25

आवेदकगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं कि जा सकती।

इस संबंध में वादी द्वारा वाद में अन्य अनुतोषों के साथ विवादित भूमि पर से सभी संरचना को हटाकर उसका खाली कब्जा वादी को वापस सौंपने की डिक्री पारित करने के अनुतोष की भी मांग की गई है। ऐसी स्थिति में यदि वादी/आवेदक के अभिकथनानुसार यदि प्रतिवादी/अनावेदक वाद भूमि पर पक्की संरचना बनवा भी लेते हैं, तब भी यदि वादी अपना दावा साबित करने में सफल होता है और वाद गुण-दोष के आधार पर उसके पक्ष में डिक्री किया जाता है तो वाद भूमि का खाली कब्जा वादी को विधि प्रक्रिया के अनुसार दिलाया जा सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः इस प्रश्न का उत्तर कि क्या अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने पर आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी, नकारात्मक दर्ज किया जाता है।

7. तदनुसार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय पाती है कि आवेदकगण अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए आवश्यक सभी तीनों स्वर्णिम सिद्धांतों को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः आवेदन दिनांक 23.12.2024 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 और 2 सहपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 को स्वीकृत करना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आवेदन दिनांक 23.12.2024 को अस्वीकृत किया जाता है। जहाँ तक आवेदन दिनांक 23.12.2024 अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 का संबंध है, आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 और 2 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 के निष्पादन के पश्चात् उक्त आवेदन प्रासांगिक नहीं रह गया है। अतः आवेदन दिनांक 23.12.2024 अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 को खारिज किया जाता है। इस आदेश का कोई विपरित प्रभाव गुण-दोष के आधार पर वाद के अंतिम निर्णय पर नहीं पड़ेगा।

8. वाद दिनांक 19-11-25 वास्ते प्रतिवादी संख्या 7 की उपस्थिति हेतु। वादी उचित कार्यवाही करें।

लेखापित  
Kiran Chaurasia  
(किरण कुमारी चौरसिया),  
सिविल जज (जु. डि.),  
बगहा, पश्चिम चम्पारण।